

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा  
ब्लॉक-सी-३ द्वितीय एवं तृतीय तल इन्ड्रवती भवन,  
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

—00—

क्रमांक/२५७०/ ८८७ /आउशि/ समन्वय/ 2019  
प्रति,

अटल नगर रायपुर, दिनांक २४/ 05/ 2019

1. कुल सचिव,  
समस्त विश्वविद्यालय,  
छत्तीसगढ़।
2. प्राचार्य,  
समस्त अग्रणी महाविद्यालय,  
छत्तीसगढ़।

विषय :-

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत।  
अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17-95/ 2017/ 38-2 अटल  
नगर रायपुर, दिनांक 24.05.2019

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा  
छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये हैं।  
प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2019-20 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/ अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की  
छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2019-20 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन  
करना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(डॉ. किरण गजपाल)

संयुक्त संचालक  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

अटल नगर रायपुर, दिनांक २५/ 05/ 2019

पृ. क्रमांक/२५७०/ ८८७ /आउशि/ समन्वय/ 2019  
प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/ बिलासपुर/ जगदलपुर/  
अंबिकापुर / दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

प्राचार्य  
डॉ. ज्वाला प्रसाद मिश्र  
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय  
मुंगेली, जिला-मुंगेली (छ.ग.)

संयुक्त संचालक  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालयः

महानदी भवन, अटल नगर

जिला—रायपुर

—००—

क्रमांक एफ 17-95 / 2017 / 38-2 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 24/5/2019  
प्रति,

आयुक्त,  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
इंद्रावती भवन,  
नया रायपुर।

विषयः— छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत।

संदर्भः— आपका प्रस्ताव जावक क्रमांक 1077 दिनांक 06.05.2019

—००—

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।


कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।


संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

  
(अधिकारी मंडेकर)  
अवर सचिव

पु क्रमांक एफ 17-95 / 2017 / 38-2 अटल नगर रायपुर, दिनांक / / 2018  
प्रतिलिपि:-

- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग। की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- गार्ड फाईल।

  
प्राधार्य  
डॉ. ज्याला प्रसाद मिश्र  
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय  
मुंगेती, जिला-मुंगेती(छ.ग.)

  
अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

- अध्ययन की रुचिधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।
- 11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान रवशारी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय के रानातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।
- 12 आरक्षण—छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :—
- 12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :—
- (क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुरूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
  - (ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुरूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
  - (ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी।
- परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत कम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।
- परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।
- 12.2 (1) बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।
- (2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों /भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षेत्रिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथारिथ्ति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।
- 12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र—पुत्रियों के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।
- 12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।
- 12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उमीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेंगी, परन्तु यदि ~~ऐसा~~ विद्यार्थी किसी सर्वग्र जैसे— स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि

### प्राच्यार्थी

डॉ. ज्याला प्रसाद मिश्र  
आसक्तीय विज्ञान महाविद्यालय  
मुंगेली, जिला-मुंगेली(छ.न.)

- का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीट भरी जायेगी।
- 12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा 1/2 प्रतिशत् एवं एक प्रतिशत् के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
- 12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत् तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जा तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत् की छूट प्रदान की जाएगी।
- 12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।
- 12.9 कड़िका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
- 12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. (सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अर्थॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कड़िका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि — "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।
- 13 अधिभार :—
- अधिभार मात्र मुण्डानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अहंकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत् पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समरत प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।
- 13.1 एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट्स  
रकाउट्स शब्द को स्काउट्स / गाइड्स / रेन्जर्स / रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।
- |   |            |
|---|------------|
| (क) एन.एस.एस. / एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट  | 02 प्रतिशत |
| (ख) एन.एस.एस. / एन.सी.सी. "बी" सर्टिफिकेट<br>या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स   | 03 प्रतिशत |
| (ग) "सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स  | 04 प्रतिशत |
| (घ) राज्य रत्नीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता<br>में मुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को                        | 04 प्रतिशत |
| (घ) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़<br>के एन.सी.सी. / एन.एस.एस. कटिंजेन्स में भाग लेने<br>वाले विद्यार्थी को | 05 प्रतिशत |
| (इ) राज्यपाल स्काउट्स   | 05 प्रतिशत |
| (ज) राष्ट्रपति स्काउट्स   | 10 प्रतिशत |
| (झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प.ज.सी.सी. मुंगेली(छ.ग.)   | 10 प्रतिशत |
- प्राधार्य**  
**डॉ. ज्याला प्रसाद मिश्र**  
**आमकीव विज्ञान महाविद्यालय**  
**मुंगेली, जिल्हा-मुंगेली(छ.ग.)**

करने प्रयत्न रूपोंट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदरथ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिती में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध वेतन पत्र अंग्रेजी किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उस महाविद्यालयों के प्राचार्य अंग्रेजित करेंगे।

16 विशेष :-

- 16.1 जाली प्रगति पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन जारीवधारीवश धडे किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश के निरस्त करने का पूर्ण पायित्व प्राचार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कारान किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण / मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अंग्रेजित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

प्राचार्य

डॉ. ज्याला प्रसाद मिश्र  
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय  
मुंगेली, जिला-मुंगेली(छ.ग.)

SL